प्रकरण संख्या 12/2022 केशुपुरी व अन्य बनाम रामलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024		

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जेतपुरा, तहसील आमेट में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी, आधिपत्य की आराजी नंबर 1854 रकबा 0.2900 हैक्टर, प्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदारी, आधिपत्य की आराजी नंबर 1851 रकबा 0.4200 हैक्टर, प्रार्थी संख्या 4 व 5 के खातेदारी, आधिपत्य की आराजी नंबर 1853 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय 0.1700 हैक्टर एवं बंजड 0.0100 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजियात में आने-जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम आबादी की आराजी नंबर 1348 में से आराजी नंबर 1869 जो खातेदारी रास्ता होकर मौके पर चालू है, जिससे होकर विपक्षीगण की आराजी नंबर 1860 की पाली से होकर आराजी नंबर 1854 की पाली होकर आराजी नंबर 1853 व 1851 में प्रवेश होता है, जो पिछले 50-60 वर्षो से मौजूद है, किन्तु आराजी नंबर 1860 की पाली पर रास्ता अंकित नहीं होने से विपक्षीगण ने आराजी नंबर 1869 के अंतिम छोर पर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपनी जमीन पर खेती-बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। अतः आराजी नंबर 1854, 1851, 1853 में आने-जाने हेतु विपक्षीगण की खाते की आराजी नंबर 1860 में मौके पर स्थित 12 फिट चौड़ा रास्ता है, जिस रास्ते को आराजी नंबर 1860 के रेकार्डेड रास्ते के समापन के पश्चात् विपक्षीगण की आराजी नंबर 1860 पर थोर की बाड कर विपक्षीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, को खुलवाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व से रास्ता मौजूद होते हुए भी प्रार्थीगण धन, बल के आधार पर विपक्षीगण की भूमि में से रास्ता कायम करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह [illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उप[illegible] हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब [illegible] उभयपक्ष को [illegible] सुनी गयी।

दौराने बहस [illegible] अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि [illegible]धिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2020 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी वह मनमकसूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तरीके से प्रस्तुत की गयी, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर पुनः दिनांक 01.11.2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें तहसीलदार ने यह अंकित किया कि रेस्पोन्डेन्ट के खेतों के समीप ग्राम पंचायत का एक सी.सी. रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो आराजी नंबर 1851 के समीप ही स्थित है, जो रेस्पोन्डेन्ट की कृषि भूमि में पहुंचने हेतु उपयुक्त रास्ता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया एवं अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि से रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट के खेतों के समीप ग्राम पंचायत द्वारा एक सी.सी. रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो आराजी नंबर 1851 के समीप होकर रेस्पोन्डेन्ट की कृषि भूमि में पहुंचने हेतु उपयुक्त रास्ता है। इस प्रकार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलान्टगण की आराजी नंबर 1860 में से जो रास्ता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह विधि सम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार आमेट द्वारा दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत की गयी है, उसमें भी सी.सी. बने होने का अंकन है तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो फोटोग्राफ्स संलग्न है, उसमें भी सी.सी. बनी होना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 4/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता बाबत् पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार, आमेट से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक [illegible].2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

([illegible])
[illegible] प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर